

वाहन ऋण योजना

1. **उद्देश्य :-** नवीन चार पहिया/दो पहिया वाहन एवं पुराने चार पहिया वाहन जो तीन वर्ष से अधिक पुराना ना हो, निजी उपयोग हेतु क्रय करने के लिए।
2. **पात्रता/प्रयोजन :-**
 - वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजित व्यवसायी, अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति, व्यापारी, पेंशनर, प्रापाईटर फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी के डायरेक्टर।
 - न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष ।
3. **अग्रिम की मात्रा :-**
 - अधिकतम रु.50.00 लाख।
4. **अंशदान :-**
 - व्यक्तिगत हेतु :- 10 प्रतिशत "ON ROAD Price" का (ON ROAD Price में accessories सम्मिलित नहीं होगी)
 - फर्म/कम्पनी हेतु :- 25 प्रतिशत "ON ROAD Price" का (ON ROAD Price में accessories सम्मिलित नहीं होगी)
 - पुराने वाहन हेतु :- 30 प्रतिशत (मूल्यहास पश्चात का मूल्य, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य या विक्रय अनुबंध अन्तर्गत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, का 30 प्रतिशत)
5. **ब्याज दर :-** 10.30 प्रतिशत (महिला आवेदकों को ब्याज दर 0.50 प्रतिशत छूट)
6. **पुर्नभुगतान :-**
 - चार पहिया वाहन
 - अ) नया वाहन – 84 समीकृत मासिक किश्तों (EMI) में।
 - ब) पुराना वाहन – 36 समीकृत मासिक किश्तों (EMI) में।
 - दो पहिया वाहन – 60 समीकृत मासिक किश्तों (EMI) में

7. आवश्यक दस्तावेज :-

- पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/नरेगा जाब कार्ड/अन्य दस्तावेज
- पते का दस्तावेज
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
- वेतनभोगी की दशा में विगत 6 माह का वेनत पत्रक एवं फॉर्म 60
- वेतनभोगी के अतिरिक्त व्यक्तियों/फर्म की दशा में विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी।
- प्रोपायटरशिप/साझेदारी/कम्पनी की स्थिति में पिछले 03 वर्ष के तुलन पत्र
- कय किये जाने वाले वाहन का कोटेशन

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें। ऋण प्रकरण का निराकरण निर्धारित मानदण्ड के तहत किया जावेगा।